


बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
अधिसूचना

पटना-15, दिनांक- 11.4.14

संचिका संख्या-9/विविध-14-23/2007-सा0प्र0-5046 /भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा (भर्ती) विनियमावली, 2008 में निम्नांकित संशोधन करते हैं:-


1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ।-
 - (1) यह विनियमावली "बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा (भर्ती) (संशोधन) विनियमावली, 2014" कही जा सकेगी।
 - (2) यह तुरत प्रवृत्त होगी।
2. उक्त विनियमावली, 2008 के विनियम 4(2)(ख) में संशोधन।-
उक्त विनियमावली, 2008 के विनियम 4(2)(ख) में प्रयुक्त शब्द "मैट्रिक" शब्द "इंटरमीडिएट" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।
3. उक्त विनियमावली, 2008 के विनियम 6, 7 एवं 8 को विलोपित किया जायेगा।
4. उक्त विनियमावली, 2008 के विनियम 9, 10 एवं 11 क्रमशः 6, 7 एवं 8 द्वारा पुनर्संख्यांकित किये जायेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


(अनिल कुमार)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:-9/विविध-14-23/2007-सा0प्र0-5046/पटना-15, दिनांक- 11.4.14
प्रतिलिपि:-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को आगामी बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 300(तीन सौ) प्रतियाँ इस विभाग को भेजे जाने के अनुरोध के साथ प्रेषित।



सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:-9/विविध-14-23/2007-सा0प्र0-5046/पटना-15, दिनांक- 11.4.14
प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय/सचिव, बिहार विधान सभा/विधान परिषद्/राज्यपाल सचिवालय /मुख्यमंत्री सचिवालय/उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




सरकार के अपर सचिव।

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
अधिसूचना

पटना-15, दिनांक- 11.4.14

संख्या:-9/विविध-14-23/2007-सा0प्र0-5047/अधिसूचना संख्या...5046
दिनांक...11.4.14के तहत निर्गत बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा (भर्ती) (संशोधन)
विनियमावली, 2014 का संलग्न अँग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा
प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त
विनियमावली का अँग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(अनिल कुमार)

सरकार के अपर सचिव।

Government of Bihar
General Administration Department

NOTIFICATION

Patna-15, dated- 11.4.14

No-9/vividh.-14-23/2007-GA- 5046 //In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following amendment in the Bihar Secretariat Clerical Service (Recruitment) Regulation, 2008 :-

1. Short title and commencement:-

(1) These Regulation may be called "The Bihar Secretariat Clerical Service (Recruitment) (Amendment) Regulations, 2014.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of Regulation 4(2)(b) of the said Regulation, 2008:-

The Word "Matric" used in the Regulation 4(2)(b) of the said Regulation, 2008 shall be substituted by the word "Intermediate".

3. The Regulations 6, 7 and 8 of the said Regulation, 2008 shall be deleted.

5. The Regulations 9,10 and 11 of the said Regulation,2008 shall be renumbered as 6,7 and 8 respectively.

By the order of the Governor of Bihar


(Anil Kumar)

Additional Secretary to the Govt.

Memo No. -9/vividh.-14-23/2007-GA- 5046

/Patna 15, dated- 11.4.14

Copy forwarded to- Finance Department, Gazette Cell, Bihar, Patna for publication in the extraordinary issue of the Bihar Gazette and send 300 (three hundred) copies to this Department.


Additional Secretary to the Govt.

Memo No. -9/vividh.-14-23/2007-GA- 5046

/Patna 15, dated- 11.4.14

Copy forwarded to- Accountant General, Bihar, Patna/All Departments/All Head of Departments/Registrar General, High court, Patna/Secretary, Bihar Legislative Assembly/Legislative Council/Governor Secretariat/ Chief Minister Secretariat/P.S. to Deputy Chief Minister. Bihar, Patna/Bihar Staff Selection Commission, Patna for information and necessary action.


Additional Secretary to the Govt.